झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 01.03.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0** **श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0**	पलामू जिला भवन निर्माण विभाग, मेदिनीनगर (पलामू) में विभाग के कर्मचारी/पदाधिकारी (नीरज कुमार राय, लेखापाल एवं सचिन कुमार सिंह) अन्य के मिलीभगत से टेन्डर मैनेज करने की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है। किसी भी संवेदक द्वारा प्रक्रिया पूरी कर लेने के बावजूद उन्हें (संवेदक) को पी0क्यू. प्राप्त नहीं कराया जाता है। जो कहीं न कहीं भष्ट्राचार की ओर इंगित करता है+ और अपने चहेतों को काम आवंटन कर दिया जाता है। जिसके कारण अन्य संवेदक को कार्य मिलने में कठिनाई होती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ कि टेण्डर मैनेज में हो रही अनियमितता के विरूद्ध सरकार उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए संलिप्त पदा0/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त एवं दण्डनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर संवेदक को काली सूची में डालने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	**भवन निर्माण**

01.	02.	03.	04.
02-	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0 डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0	वित्तीय वर्ष- 2020-21 से आउटकम बजट सूत्रण किया जा रहा है। ऑनलाईन पोर्टल निर्मित होने के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा ससमय अद्यतन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर लोड नहीं करने के कारण आउट कम बजट के विरूद्ध संपूर्ण प्रगति (सभी आउटपुट एवं आउटकम इंडिकेटर्स के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय प्रगति) रिपोर्ट एवं चयनित योजना अन्तर्गत कर्णाकित राशि का आउटकम बजट के सूचकांको के विरूद्ध उपयोगिता की समीक्षा तथा आउटकम बजट की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा नहीं हो पा रही है इस स्थिति में आउटकम बजट की उपयोगिता जनता के हित में हो रहा है या नहीं इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अतएव लोकहित में आउटपुट एवं आउटकम इंडिकेटर्स के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, संबंधित विभाग द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर लोड करने तथा कर्णाकित राशि का आउटकम बजट के सूचकांको के विरूद्ध उपयोगिता की माहवार समीक्षा कर जनता के हितो को पूरा करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	वित्त
03-	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री जयप्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0	राज्य में वर्षो से संचालित एक मात्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षकों के कुल-692 स्वीकृत पदों की तुलना में कुल- 582 पद वर्षो से रिक्त है तथा उक्त विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के कई जिलों में संचालित-11 (ग्यारह) कृषि महाविद्यालय सरकार की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण अपने अस्तित्व को खो रही है। क्योंकि उक्त महाविद्यालयों के गठन काल से अबतक उक्त महाविद्यालय में पठन-पाठन का कार्य अनुबंधित शिक्षकों के जिम्मे है। साथ ही उक्त विश्वविद्यालय में अबतक एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होने	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
		के कारण पी0जी एवं पी0एच0डी की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गत वेटनरी महाविद्यालय में भी शिक्षकों के नहीं होने के कारण हर वर्ष राज्य के लगभग-05 सौ से अधिक छात्र एग्रीकल्चर, वेटनरी, फोरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग व हॉर्टिकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विभागों की पी0जी0 स्तर की पढ़ाई से वंचित हो रहे है तथा सरकार की ऐसी लापरवाही के कारण उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गत-05 महाविद्यालयों को अबतक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा मान्यता नहीं दी गई है जो राज्य के लिए काफी चिंता की बात है और सरकार उक्त महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा राज्य के ऐसे महाविद्यालयों को उक्त परिषद् से मान्यता नहीं मिलने के कारण वहाँ पढ़ रहे छात्रों को कई सुविधाओं एवं लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान राज्य के इस गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा।	
04-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0	हजारीबाग जिला के बड़कागांव मुख्य चौक सघन आबादी वाला क्षेत्र है जो तीन जिलों, हजारीबाग, रामगढ़ तथा चतरा जिले को जोड़ने का कार्य करती है। बड़कागांव मुख्य चौक के लिए बाईपास नहीं होने के कारण आए दिन जाम लगता रहता है जिसका खामियाजा आम जनमानस को झेलना पड़ता है। अतः बड़कागांव मुख्य चौक के लिए बाईपास सड़क का निर्माण करने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
05-	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0 श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0	पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी विधान सभा क्षेत्र में कई स्टोन माईंस एवं क्रशर प्लांट संचालित हैं। इन प्लांटों से प्रतिदिन अत्यधिक भार वाले मालवाहक वाहनों का परिचालन ग्रामीण पथों में होता है। जिस कारण कम लोड क्षमता वाले ग्रामीण पथों की स्थिति टूटकर अत्यंत जर्जर हो गई है। सर्वप्रथम इन खदानों से परिचालन होने वाले भारी वाहनों का एक विशेष रूट तय होना चाहिये। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए डी0एम0एफ0टी फंड से तय रूट की पथों का निर्माण पथ निर्माण विभाग के स्तर के अनुरूप उच्च भार क्षमता का होना चाहिए। पाँकी प्रखण्ड के आसेहार में संचालित सौरभ स्टोन माईंस की दूरी, उच्च विद्यालय, आसेहार से मात्र 50 मीटर है। खदान में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर किये गए हैवी ब्लास्टिंग के कारण विद्यालय की दिवारों में दरारें आ गई हैं। जिस कारण कभी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहती है। विद्यार्थियों एवं शिक्षण कर्मियों की जान-माल की सुरक्षा भी आशंकित रहती है। मैं स्टोन माईंस के भारी वाहनों का परिचालन तय रूट पर कराने, तथा रूट की पथों का निर्माण पथ निर्माण विभाग के स्तर का कराने एवं खनन नियमों के विरुद्ध संचालित खदानों को बंद कराने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	खान एवं भूतत्व

रॉंची,
दिनांक- 01 मार्च, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

कृ0पृ0उ0-

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-...3022.../वि0 स0, राँची, दिनांक-29/02/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, वित्त विभाग/ सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/02/2024

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-...3022.../वि0 स0, राँची, दिनांक-29/02/24

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29/02/2024

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

29.02.24